अनुदान संख्या 55 - गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
GRANT No. 55 - OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*			*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	1725,53,00		1725,56,00	1542,23,65	-183,32,35
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted–			147,72,00	77,29,97	-70,42,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative services				
मू.	O.	3300.00	3335.00	3004.12	-330.88
पु.	R.	35.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	76531.00	81827.00	80298.07	-1528.93
पु.	R.	5296.00			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	48475.00	51102.00	46307.66	-4794.34
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	2625.00			
मुख्य शीर्ष "2250" अन्य सामाजिक सेवाएं	Major Head "2250" Other Social Services				
मू.	O.	16710.00	8503.00	2253.31	-6249.69
पु.	R.	-8207.00			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation		6000.00	2500.00	- 3500.00
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services		132.00	..	-132.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	21312.00	21564.00	19783.55	-1780.45
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	251.00			

(I) ₹271.20 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹132.00 लाख मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं के लिए ऋण राहत स्कीम" के अंतर्गत राज्य सरकारों से दावे प्राप्त न होने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹271.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹132.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3475"-"Other Expenditure – Debt Relief Scheme for the Borrowers in the State of Jammu and Kashmir" - due to non receipt of claims from the State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "अन्य व्यय - नागरिक कार्य कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹295.88 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेफ्ट विंग अतिवादियों से प्रभावित राज्यों में नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2070" – "Other Expenditure –Civic Action Programme"- saving of ₹295.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement claims relating to Anti Naxal operation in Left Wing Extremism Affected States.

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Programmes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नि:शुल्क रेल पास" - ₹1450.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई यात्राओं के लिए रेलवे से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Free Railway Passes to Freedom Fighters" – saving of ₹1450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Railways for journeys undertaken by Freedom Fighters.

(खा) "आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए केंद्रीय सहायता स्कीम" - ₹329.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Central Scheme for assistance to victims of Terrorist and Communal violence" – saving of ₹329.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2245"-"General - Management of Natural Disasters, Contingency Plan in disaster prone areas" – savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण"- ₹3163.79 लाख की बचत (₹18331.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और घरेलू यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की

(A) "National Disaster Management Authority" - saving of ₹3163.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18331.00 lakhs) was due to non-finalization of Plan Scheme and requirement of

आवश्यकता होने के कारण हुई।

less funds towards domestic travel expenses and advertising and publicity.

(खा) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान" - ₹691.50 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता की स्कीम को बंद किए जाने के कारण हुई।

(B) "National Institute of Disaster Management"- saving of ₹691.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to closure of scheme for financial assistance to Administrative Training Institutes.

(V) मुख्य शीर्ष "2250"- "अन्य व्यय " के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "2250" - "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य स्कीमें"- ₹450.23 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार के लिए दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Other Schemes"- saving of ₹450.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards advertisement and publicity.

(खा) "जम्मू और कश्मीर में विशेष उद्योग पहल"- ₹14000.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन चरण पर होने की वजह से कारपोरेट द्वारा कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Special Industry Initiative in J & K"- saving of ₹14000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to delay in implementation by the corporates owing to scheme being at initial stages of implementation.

(VI) मुख्य शीर्ष "3053"- "वायु सेवाएं - उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए स्कीम - पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए अदायगी" के अंतर्गत ₹3500.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राउंडिड हेलीकाप्टर सेवाओं की वजह से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3053" – Air Services-Scheme for NE Region-Payment for Helicopter Services in North Eastern Region"- saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to grounded Helicopter Services.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VII) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें" -

(A) "Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes" -

(क) "मिजोरम"- ₹258.75 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्रू शरणार्थियों का त्रिपुरा से मिजोरम प्रत्यावर्तन कम किए जाने के कारण हुई।

(a) "Mizoram"- saving of ₹258.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to less repatriation of BRU refugees from Tripura to Mizoram.

(ख) "जम्मू और कश्मीर राहत और पुनर्वास"- ₹510.01 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से राहत और पुनर्वास के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Jammu & Kashmir Relief & Rehabilitation"- saving of ₹510.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less claims for relief and rehabilitation from the State Government.

(ग) "त्रिपुरा"- ₹301.00 लाख की बचत (₹3001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Tripura"- saving of ₹301.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3001.00 lakhs); and

(खा) "पुनर्वास - श्रीलंका से प्रत्यावर्तित - राहत अनुदान"- ₹500.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Rehabilitation - Repatriates from Sri Lanka - Relief Grants" - saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims for reimbursement from the State Governments.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹91.50 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 92 प्रतिशत थी।

(VIII) Under one head saving of ₹91.50 lakhs occurred constituting 92 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3026.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2013 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांग के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (₹3026.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2013 and vide Annexure to Supplementary Demand for Grants under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजना" -

(A) Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plans in disaster prone areas" -

(क) "आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए यूएनडीपी से निर्गम/मंजूरी" - ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹999.00 लाख था।

(a) "Release/Sanction from UNDP for Disaster Risk Management Project"- ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹999.00 lakhs.

(ख) "राष्ट्रीय आपदा कार्य बल" - ₹1776.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹748.81 लाख था।

(b) "National Disaster Response Force"- ₹1776.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹748.81 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 दंगों में मृत्यु, घायल, संपति को नुकसान और गैर बीमाकृत वाणिज्यिक/औद्योगिक संपति को नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा" - ₹250.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹245.05 लाख था।

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants – Other Social Security and Welfare Programmes- Other Programmes - Enhanced Compensation for death, injury, damage to properties damage to uninsured Commercial/industrial properties in 1984 riots"- ₹250.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹245.05 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2235" - "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम - केंद्रीय सरकार पेंशन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹5551.58 लाख का अधिक व्यय (₹71708.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता और नए पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Swatantrata Sainik Samman Pension Schemes - Central Government Pension" – excess of ₹5551.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71708.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance and increase in new pensioners.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services	14772.00	7729.97	-7042.03

(I) "प्राकृतिक आपदाओं" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under "Natural Calamities" - savings occurred under the following heads:-

(का) "आपदाओं के मामले में फौरी दखल के लिए विशिष्ट क्षमता का निर्माण करना"- ₹1636.50 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संचार

(A) "Building up specialized capability for rapid intervention in case of disasters"- saving of ₹1636.50 lakhs (against the sanctioned provision of

उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान"- ₹445.83 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण न किए जाने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "राष्ट्रीय आपदा कार्य बल"- ₹4959.70 लाख की बचत (₹11172.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना, मोटर वाहन की खरीद के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने और भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

₹2600.00 lakhs) was due to non- procurement of communication equipment.

(B) "National Institute of Disaster Management"- saving of ₹445.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-finalization of scheme owing to non-acquisition of land.

(C) "National Disaster Response Force"- saving of ₹4959.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11172.00 lakhs) was due to non-receipt of approval for infrastructure, purchase of Motor Vehicle (load shedder) and non-finalization of proposal for acquisition of land.